

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2685] No. 2685] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 14, 2019/श्रावण 23, 1941

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 14, 2019/SHRAVANA 23, 1941

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2019

का.आ. 2947(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का 22) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 15 अगस्त, 2019 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 6, धारा 7 और धारा 8, धारा 14 का खंड (i), खंड (iii) और खंड (iv), धारा 20, धारा 31, धारा 33, धारा 34 और धारा 35 तथा धारा 37 और धारा 38 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 1/5/2019-सीएल-I]

के. वी. आर. मुर्ति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2019

S.O. 2947(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Companies (Amendment) Act, 2019 (22 of 2019), the Central Government hereby appoints the 15th day of August, 2019 as the date on which the provisions of sections 6, 7 and 8, clauses (*i*), (*iii*) and clause (*iv*) of section 14, section 20, section 31, sections 33, 34 and 35 and sections 37 and 38 of the said Act shall come into force.

[F. No. 1/5/2019-CL-I]

K.V.R. MURTY, Jt. Secy.

4201 GI/2019